

**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन पर
राष्ट्रीय सम्मेलन**

14 जनवरी, 2016 अंतिम कार्यसूची

10:00-10:30 पूर्वाह्न	प्रतिभागियों का पंजीकरण एवं चाय
10:30-10:40 पूर्वाह्न	अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्वागत अभिभाषण
10:40-10:50 पूर्वाह्न	श्री वी. सोमसुन्दरन, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार द्वारा मुख्य भाषण
10:50-11:30 पूर्वाह्न	सत्र I : पॉक्सो अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन में चुनौतियां और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों के बीच समन्वय एवं संचार प्रणाली में सुधार संयुक्त सचिव (आरएसएस), म.बा.वि.मं. द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण
11:30-12:00	चाय
12:00-1:30 अपराह्न	सत्र-II : विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पॉक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित पहलों पर प्रस्तुतीकरण ‘निर्भीक’ पर दिल्ली पुलिस द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण साइबर प्रीडेशन से बच्चों का संरक्षण पर दिल्ली पुलिस द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण हेल्पलाइन 1090 पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण * आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण
1:30- 2:15 अपराह्न	भोजनावकाश
2:15- 2:30 अपराह्न	सत्र-III - वैश्विक प्रवृत्तियों के संबंध में भारत में बच्चों की

	सुरक्षा पर श्री पारुल सोनी, ग्लोबल मेनेजिंग पार्टनर थिंकथ्रो कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण
2:30- 2:45 अपराहन	सत्र IV: पॉक्सो अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन में कानूनी चुनौतियां – श्री राजेश कुमार गोयल, निदेशक, नालसा
2:45- 3:15 अपराहन	चाय
3:15- 4:15 अपराहन	पॉक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर प्रतिभागियों द्वारा खुली चर्चा- अपर सचिव (एनजीबी)/अध्यक्ष, एनसीपीसीआर द्वारा अध्यक्षता
4:15- 4:30 अपराहन	अध्यक्ष, एनसीपीसीआर द्वारा समाहार
4:30- 4:35 अपराहन	उप सचिव (सीडब्ल्यू), म.बा.वि.मं./ सदस्य सचिव, एनसीपीसीआर द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव

* अभी तक पुष्टि नहीं हुई है